न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

मुकदमा नम्बर 9/2017 निर्णय दिनांक 9.12.2019

आर्यन पुत्र महेन्द्र जाति बिश्नोई निवासी सांवतसर तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर नाबालिग जरिये कुदरतीवली अपनी माता संतोषदेवी पत्नी महेन्द्र जाति बिश्नोई निवासी सांवतसर तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर

————वादी

बनाम

1 महेन्द्र पुत्र रामेश्वर 2 ईश्वर पुत्र रामेश्वरलाल जाति बिश्नोई निवासी सांवतसर तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर 3 स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ

———प्रतिवादीगण

4 शाखा प्रबन्धक स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कुचौर अगूणी (नोखा)

————गौण प्रतिवादीगण्पा

उपस्थिति–

1. श्री बाबूलाल दर्जी अधिवक्ता वादी की तरफ से ।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही ।
3. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद इस न्यायालय में आर्यन ने जरिये माता ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि वादी के पडदादा स्व. चुन्नीलाल पुत्र हरसुख जाति बिश्नोई निवासी सांवतसर की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 332 तादादी 29 बीघा 15 बिस्वा रोही कोटासर तहसील श्री डूँगरगढ व खेत खसरा नम्बर 39 तादादी 34 बीघा 24 बिस्वा रोही सांवतसर तहसील श्री डूँगरगढ में खातेदारी के खेत स्थित थे । वादी के पडदादा चुन्नीलाल की मृत्यु के बाद उपरोक्त खेतों का विरास्तन इन्तकाल दर्ज हुआ विरास्तन इंतकाल दर्ज होने के बाद खेत खसरा नम्बर 89 तादादी 34 बीघा 14 बिस्वा रोही सांवतसर व खेत खसरा नम्बर 332 तादादी 29 बीघा 15 बिस्वा रोही कोटासर वादी के दादा रामेश्वरलाल के हिस्सा पांती में आये । खेत खसरा नम्बर 332 के नये खसरा नम्बर 431 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 523/431 तादादी 3.76 हैक्टयर रोही कोटासर व खेत खसरा नम्बर 89 के नये खसरा नम्बर 132 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1036/132 तादादी 4.29 हैक्टयर रोही मौजा सांवतसर तहसील श्री डूँगरगढ कायम हुये । खेत खसरा नम्बर 1036/132 तरइरइह 4.39 हैक्टयर रोही मौजा सांवतसर तहसील श्री डूँगरगढ व खेत खसरा नम्बर 523/431 तादादी 3.76 हैक्टयर रोही कोटासर तहसील श्री डूँगरगढ की भूमि को वादी के दादा रामेश्वरलाल ने जरिये बक्शीशनामा वादी के पिता महेन्द्र प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम बराबर बराबर हिस्सा के रूप में हस्तान्तरण कर दी । वादी स्व. चुन्नीलाल का पडपौत्र है तथा रामेश्वरलाल का पौत्र है । वादी बाक वादगत खेता कें में जन्म से ही हक हिस्सा निहित है । वादी के प्रतिवादी संख्या 1 पिता व प्रतिवादी संख्या 2 ताऊ लगते है । हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के मुताबिक स्व. चुन्नीलाल के रामेश्वरलाल व वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उतराधिकारी हुये । वादी का वादगत खेतों में बाई बर्थ हिस्सा निहित है । प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 आपस में मिले हुये है । वादी वादगत खेतों को जरिये अपनी माता कब्जा काश्त उपयोग एवं उपभोग में लेता चला आ रहा है । वादी के जीवन यापन का एक मात्र जरिया वादगत खेत ही है तथा वादी वादगत खेतों को अपने हक हिस्सा के मुताबिक अदल–बदल पर काश्त करता चला आ रहा है । वादगत खेतों में प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड

Scanned by CamScanner

में बराबर बराबर यानि 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज है । वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/2 हिस्सा दर्ज है । वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/2 हिस्सा में से आधा हिस्सा यानि 1/2 हिस्सा भूमि में हिस्सा बाई बर्थ निहित है । जिसकी खातेदारी की घोषणा के लिए उक्त दावा प्रस्तुत किया जा रहा है । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 चतुर व चालाक किस्म के व्यक्ति है जिन्होंने वादी के दादा रामश्वरलाल को मुगालता में रखकर वादगत खेतों को जरिये बक्शशनामा अपने नाम से करवा लिया । जबकि वादगत खेतों में वादी का हिस्सा जन्म से ही निहित है । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 गलत राजस्व रिकार्ड की आड में तथा खातेदारी अपने नाम से होने के कारण उसका बेजा फायदा उठाते हुये वादगत खेतों को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय, बैय व हस्तान्तरण करने की कुचेष्टा में है । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी व वादी की माता को को वादगत खेतों से बेदखल करने के लिए मारपीट कर शारिरिक व मानसिक यातनाएं दी है । प्रतिवादीगण ने दिनांक 16.2.2017 को वादी के साथ मारपीट करने वादगत खेतों से बेदखल करने तथा खेतों को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करने की ऐलानियां धमकी दी है । वादी के पास प्रतिवादगीण के विरूद्ध उक्त दावा चिननिषेधाज्ञा के अनुतोष का प्राप्त करने का प्रस्तुत किया जा रहा है । वादी का वादमित्र सरंक्षक माता संतोषदेवी है तथाा वादी की परवरिश, भरण पोषण तथा तमाम प्रकार की Care करती चली आ रही है । वादी के शरीर व सम्पति की सुरखा के लिए उक्त दावा प्रस्तुत किया जा रहा है । वादी नाबालिग की कृषि भूमि की सुरक्षा व नाबालिग के हक हिस्सा के लिए उक्त दावा खातेदारी की घोषणा, विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा के अनुतोष बाबत प्रस्तुत किया जा रहा है । जिस बाबत माननीय न्यायालय में वादमित्र की और से दावा प्रस्तुत रिने की अनुमति प्राप्त कर उक्त दावा प्रस्तुत किया जा रहा है । वादगत खेतों को शुरू से ही कब्जा काश्त उपयोग एवं उपभोग में लेता चला आ रहा है । वादी प्रतिवादी संख्या 1 का कानूनी उतराधिकारी हैं वादी का वादगत खेतों में हिस्सा निहित है । वादी वादगत खेतों की खातेदारी की घोषणा अपने नाम करवाकर अपना हिस्सा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस खाता विभाजन करवाने की अनुतोष का उक्त दावा प्रस्तुत किया जा रहा है । प्रतिवादीगण ने वादगत खेतों से वादी को बेदखल करने व खेतों को विक्रय करने की धमकी दिनांक 16.2.2017 को दी है वादी ने प्रतिवादीगण से वादगत खेतो से बेदखल न करने व किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय हस्तान्तरण आदि न करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इंकार कर दिया यही दावे का हेतु है तथा दावा का आधार वादी का वादगत खेतों में हिस्सा निहित होने से प्राप्त है । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादगत खेतों को गौण प्रतिवादी संख्या 4 के यहां रहन रख रखा है । चूंकि गौण प्रतिवादी संख्या 4 से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाही गया है केवल मात्र आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार संयोजित किया है । अतः वाद पेश कर निवेदन किया है कि दावा बहक वादी व खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें –

(क) घोषित किया जावे कि वादगत खेत खसरा नम्बर 523/431 तादादी 3.76 हैक्टयर रोही कोटासर व खेत खसरा नम्बर 1036/132 तादादी 4.39 हैक्टयर रोही कोटासर व खेत खसरा नम्बर 1036/132 तादादी 4.39 हैक्टयर रोही सांवतसर तहसील श्री डूँगरगढ में वादी के हक हिस्सा अनुसार खातेदारी की घोषणा की जाकर उसका अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावें व उसकी पालना प्रतिवादी संख्या 3 से करवाई जावें ।

Scanned by CamScanner

(ख) वादगत खेत खसरा नम्बर 523/431 तादादी 3.76 हैक्टयर रोही कोटासर व खेत खसरा नम्बर 1036/132 तादादी 4.39 हैक्टयर रोही सांवतसर तहसील श्री डूँगरगढ का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस खाता विभाजन किया जावें ।
(ग) प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वो खेत खसरा नम्बर 523/431 तादादी 3.76 हैक्टयर रोही कोटासर व खेत खसरा नम्बर 1036/132 तादादी 4.39 हैक्टयर रोही सांवतसर तहसील श्री डूँगरगढ से वादी का बेदखल न करें, ना ही फसल को खुर्द बुर्द करें वादगत खेतों का विक्रय, रहन बैय, दीगर प्रकार से मुन्तकिल न करें ऐसा कोई कृत्य अथवा अकृत्य नहीं करें जिससे वादी के वैध हितों पर विपरीत असर पडता हों ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये सम्मन तलब करने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी संख्या 3 को पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने के कारण जबाब का अवसर बंद किया गया । वादी के तरफ से साक्ष्य पेश किया जिसे जाकर दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये ।

बहस इकतरफा सुनी गई । बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । वादी द्वारा वादगत खेत खसरा नम्बर 523/431 तादादी 3.76 हैक्टयर रोही कोटासर व खेत खसरा नम्बर 1036/132 तादादी 4.39 हैक्टयर वाके रोही सांवतसर तहसील श्री डूँगरगढ में वादी के हक हिस्सा अनुसार खातेदारी की घोषणा, विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा की मांग पैतृक भूमि होने के कारण की गई है । जबकि वादगत भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड बक्शीशनामे से हस्तान्तरित हो गई है । रजिस्टर्ड दस्तावेजों को सुनने का अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय को नहीं है । अतः वादी का वाद अस्वीकार योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है । डिक्री जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 9.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय बाद दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner